कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

//कार्यवाही विवरण//

दिनांक 07.10.2021 को विडियो कॉफ्रेंसिग की बैठक समय 12:00 बजे सचिव, छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने निर्देशित किये है :–

1. **धन्वंतरी सस्ती दवाई योजना** :– सस्ती दवाई योजना का शुभारंभ 15 अक्टूबर तक किया जाना है सभी नगरीय निकाय में समन्वय कर सुडा द्वारा उपलब्ध कराये गये डिजाइन मॉडल के अनुसार चयनित दवा दुकान में समस्त व्यवस्था कर लिया जावे। नगरीय निकाय में लंबित निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन शीघ्र कर लिया जावे।

   (कार्यवाही – श्री बी.के. देवांगन, अधीक्षण अभियंता एवं समस्त जोन आयुक्त, जोन – 1,2,3,4,5)

2. **मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना** :– इस योजना के विस्तारीकरण के तहत निर्धारित संख्या में एम.एम.यू. का संचालन कार्य दुर्ग जिले के नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में भी प्रारंभ किया जाना है। अतः सूडा रायपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये RFP अनुसार 15 अक्टूबर तक निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर लिया जावे।

   (कार्यवाही – श्री बी.के. देवांगन, अधीक्षण अभियंता)

3. मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अनुसार लगाये जा रहे MMU शिविर का निरीक्षण अपर आयुक्त, जोन के कार्यपालन अभियंता, उपायुक्त एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी नियमित रूप से किया जावेगा। MMU कैम्प के निरीक्षण में MMU स्टाफ का व्यवहार, MMU वाहन में दवाई की उपलब्धता ज्यादा से ज्यादा हो निर्धारण किया जाये टेस्ट किट की उपलब्धता अन्य बायोमेडिकल उपकरण की उपलब्धता/बायोमेडिकल अपशिष्ट के निपटान की समस्त व्यवस्था, योजना का प्रचार – प्रसार सेवा प्रदाता एजेंसी की सेवाओं का आकलन आदि के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। जॉच प्रतिवेदन उसे रजिस्टर में पंजीबद्ध किया जावेगा। इस संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रोस्टर तैयार कर आदेश हेतु प्रस्तुत किया जावे। विशेष समुदाय में योजना के लाभ को परिपूर्णता शत् प्रतिशत बढ़ाने के लिये कार्यशाला सुनिश्चित की जाये। MMU शिविर में श्रमिक, एवं अन्य विशेष जैसे विकलांग/प्रेगनेंट/ स्तनपान कराने वाली महिलायें/किशोर बालिका/कुपोषित बच्चो के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विशेष केम्प लगाना है। अतः प्रत्येक माह में इस प्रकार का विशेष कैम्प लगाकर टारगेटेड समूह की सक्सेज स्टोरी फाटोग्राफ सहित शासन को भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

क्रमशः.......2

योजना का लाभ समस्त प्रकार के श्रमिको को दिया जाना है। अतः 100 प्रतिशत श्रमिकों का पंजीयन श्रमायुक्त कार्यालय से समन्वय कर पूर्ण करा लिया जावे। योजना का लाभ स्लम क्षेत्र के रहवासियों एवं श्रमिको को प्राथमिकता से दिया जाना है। अतः उस क्षेत्रो में MMU कैम्प को लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे। MMU कैम्प स्थल, MMU स्टाफ, मरीज हेतु वहां आस – पास शौचालय की उपलब्धता अनुसार ही निर्धारण किया जावे। योजना के सफल कियान्वयन एवं MMU शिविर में लाभार्थियों के सफलता की कहानी नियमित रूप से तैयार किया जाना है। इस हेतु कार्यवाही जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाकर प्रचार –प्रसार भी सुनिश्चित किया जावे।

(कार्यवाही – श्री ए.के. द्विवेदी, अपर आयुक्त / उपायुक्त / कार्यपालन अभियंता / स्वास्थ्य अधिकारी / श्री पी.सी. सार्वा, जनसंपर्क अधिकारी / प्रभारी अधिकारी महिला एवं बाल विकास / समस्त जोन आयुक्त, जोन – 1,2,3,4,5)

4. योजना मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत होने के कारण उक्त कार्य की साप्ताहिक समीक्षा प्रत्येक सोमवार को शाम 5:00 बजे किया जावें।

(कार्यवाही – श्री ए.के. द्विवेदी, अपर आयुक्त)

5. निगम की आय बढ़ाने के लिये रिक्त भू–खण्डों का नीलामी के माध्यम से आबंटन की कार्यवाही किया जाये।

(कार्यवाही – श्री सुनील अग्रहरि, नोडल अधिकारी राजस्व विभाग)

6. दीपावली पर्व नवंबर के प्रथम सप्ताह में होने से अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन का भुगतान 31.10.2021 के पूर्व किया जाये।

**(कार्यवाही – श्री ए.के. द्विवेदी, अपर आयुक्त
श्री जितेन्द्र कुमार ठाकुर, लेखाधिकारी)**

उपरोक्त निर्देश को पालन सुनिश्चित करें।

(प्रकाश कुमार सर्वे)
रा.प्र.से.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

क्रमशः.......3

पृ.क./एफ– /स्टे.आयु./ 2021–22/4061 भिलाई, दिनांक 11/10/2021
प्रतिलिपि :–

1. प्रशासक महोदय, नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II/III, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त, जोन –1,2,3,4,5, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ पालनार्थ।
6. कार्यपालन अभियंता, जोन –1,2,3,4,5,/जलकार्य विभाग, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ व पालनार्थ।
7. स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
10. सहायक राजस्व अधिकारी, जोन – 1,2,3,4,5, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ व पालनार्थ।
11. संबंधित विभाग प्रमुख...नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई